न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/77/2022

ओमप्रकाश पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी ग्रांम कासोट, पो0 कासोट
तहसील डीग जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार डीग जिला भरतपुर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 11.10.2022**

अपीलार्थी ओमप्रकाश पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी ग्रांम कासोट, पो0 कासोट तहसील डीग जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार डीग के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 9.6.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार डीग से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार डीग द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/22/689 दिनांक 15.9.2022 के द्वारा लोक सूचना तहसीलदार डीग से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब पत्र क्रमांक/2022/1035 दिनांक 27.9.2022 शामिल पत्रावली किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि प्रार्थी को सूचना नहीं दी जा रही है, जब कि पटवारी द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट कार्यालय में दी थी, तहसीलदार द्वारा उसकी नकल देने से मना किया जा रहा है। प्रार्थी ने अपील के साथ फोटो प्रति मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 31.8.19 की फोटो प्रति सलंग्न की है। अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से नकल दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। अतः अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार डीग को निर्देशित किया जाता है कि वे

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज॰.

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई नकल कार्यालय मे तलाश कराई जाकर उपलब्ध कराई जावे। अपील में कोई शुल्क देय नही होने से अपील के साथ प्राप्त 10/- का पोस्टल आर्डर अपीलार्थी को वापिस लोटाया जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार डीग को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर